बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0–पि0व0/विविध–25–14/2018–   पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत संकल्प सं0–1143 दिनांक–10.05.2018 के आलोक में राज्य के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को खाद्यान्न (चावल एवं गेहूँ) की आपूर्ति योजना का लाभ देने के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को बी0पी0एल0 दर पर मासिक आवंटन का Revolving fund के रूप में तीन महीने की अग्रिम राशि रू0 7,27,200/- (रू0 सात लाख सताईस हजार दो सौ) मात्र उपलब्ध कराने की स्वीकृति।**

आदेश– **स्वीकृत।**

निदेशानुसार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अन्तर्गत संचालित पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) उपलब्ध कराने हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को बी0पी0एल0 दर पर मासिक आवंटन का Revolving fund के रूप में तीन महीने की अग्रिम राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावासों में आवासित कुल–3200 छात्र/छात्राओं को खाद्यान्न की मात्रा (प्रति छात्र/छात्रा 9 कि0ग्रा0 चावल एवं 6 कि0ग्रा0 गेहूँ) प्रति माह उपलब्ध कराने हेतु एक माह के लिए चावल–288 क्विंटल एवं गेहूँ–192 क्विंटल की बी0पी0एल0 दर पर (चावल रू0 5.65 प्रति कि0ग्रा0 एवं गेहूँ रू0 4.15 प्रति कि0ग्रा0) राशि रू0 2,42,400/– होता है। Revolving fund के रूप में तीन माह की अग्रिम राशि (चावल एवं गेहूँ) के लिए रू0 7,27,200/- (रू0 सात लाख सताईस हजार दो सौ) मात्र होता है।

2– अतः राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावासों में आवासित कुल–3200 छात्र/छात्राओं को तीन माह के खाद्यान्न (चावल एवं गेहूँ) के लिए कुल रू0 2,42,400/–X 3 =7,27,200/- (रू0 सात लाख सताईस हजार दो सौ) मात्र बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना को Revolving fund के रूप में तीन माह की अग्रिम राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3– उक्त संपूर्ण राशि का व्यय भार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 के राज्य योजना माँग संख्या–11 के अंतर्गत आय–व्ययक शीर्ष "4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष–277–शिक्षा उपशीर्ष– 0101–आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार, विषयशीर्ष–21.01– सामग्री एवं पूर्तियां विपत्र कोड–11–4225032770101" के अन्तर्गत उपबंधित राशि में से रू0 7,27,200/- (रू0 सात लाख सताईस हजार दो सौ) मात्र विकलनीय होगा।

4– स्वीकृत राशि की निकासी, अवर सचिव सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी। उपर्युक्त स्वीकृत राशि की निकासी कर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना के बैंक खाता इण्डियन बैंक कंकड़बाग शाखा पटना के 6282639495 IFS CODE NO. IDIBOOOK196 central TPDS में राशि हस्तांतरित की जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि के हस्तांतरण संबंधी साक्ष्य सहित सूचना बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

P.T.O

5– खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2875, दिनांक–15.06.2018 द्वारा प्राप्त खाद्यान्न आवंटन के आलोक में जिलावार आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा। जिसे जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा छात्रावासों में आवंटित किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

6– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या–2561, दिनांक–17.04.1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

7–प्रस्ताव में सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

8– प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार,

ह०/–
(डॉ0 वीरेन्द्र प्रसाद यादव)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/विविध–25–14/2018– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (कल्याण), बिहार/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी, बिहार /अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/लेखाशाखा (दो प्रतियों में)/बजट सहायक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/विविध–25–14/2018– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– सचिव के आप्त सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/विविध–25–14/2018– 44 पटना, दिनांक– 06/07/18

प्रतिलिपि– आई0टी0मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Baudh 6.7.18
सरकार के विशेष सचिव।

D/Sri Akhil sir/ Letter of Princ.Secy(sanction order).1111